रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 1987/फाल्गुन 22, 1908
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 1987/PHALGUNA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1987

संकल्प

सं. एफ. 14(2)/आई. सी./86.—केन्द्रीय सरकार के समूह "ख", "ग" और "घ" के सिविल कर्मचारियों से संबंधित चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में भारत सरकार के निर्णय, वित्त मंत्रालय के संकल्प संख्या 14(1)/आई. सी./86, दिनांक 13-9-1986 के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिए गए थे। सरकार ने अब, केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं/पदों और साथ ही अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में परिलब्धियों, भत्तों और सेवा शर्तों के बारे में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और यह निर्णय किया है कि इनके संबंध में आयोग की सिफारिशों को, निम्नलिखित संशोधनों के साथ, सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाए :—

I—अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमान :

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा :

भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ समय वेतनमान और प्रवरण ग्रेड क्रमशः 3200—4700 रुपये और 4800—5700 रुपये होगा तथा इस सेवा के लिए एक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3950—5000 रुपये) (गैर-कार्यात्मक) होगा।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा :

भारतीय पुलिस सेवा में एक गैर-कार्यात्मक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3700—5000 रुपये) तथा प्रवरण ग्रेड (4500—5700 रुपये) होगा। पुलिस उप-महानिरीक्षक का वेतनमान 5100-150-5400-150-6150 रुपये (18वें वर्ष में अथवा उसके बाद 5400 रुपये) होगा। राज्यों में महानिदेशक (पुलिस) का वेतनमान 7300-100-7600 रुपये होगा बड़े राज्यों में 7600-100-8000 रुपये का वेतनमान होगा।

(iii) भारतीय वन सेवा :

भारतीय वन सेवा में 3700—5000 रुपये का एक गैर-कार्यात्मक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, और 4100—5300 रुपये का एक प्रवरण ग्रेड होगा । वन संरक्षक का वेतनमान 4500—5700 रुपये होगा । अपर मुख्य संरक्षक और मुख्य संरक्षक का वेतनमान 5900—6700 रुपये होगा । प्रधान मुख्य संरक्षक का वेतनमान 7300-100-7600 रुपये होगा; बड़े राज्यों में वेतनमान 7600 रुपये (स्थिर) होगा ।

II—केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं/पदों के वेतनमान :

(i) जिन वैज्ञानिक संगठनों में लचीली अनुपूर्ति (फ्लेक्सिबल कम्पलीमेंटिंग) की स्कीम लागू है, उनमें वैज्ञानिक पदों पर लागू होने वाले वेतनमानों में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं :—

विद्यमान वेतनमान	आयोग द्वारा सिफारिश किया गया वेतनमान	संशोधित वेतनमान
रु.	रु.	रु.
1800—2250	4100—5300	4500—5700
2000—2500	4500—5700	5100—6300
2250—2750	5100—6700	5900—6700

(ii) महानिदेशक, बी. एस. एफ. और महानिदेशक, सी. आर. पी. एफ. के पद का वेतनमान 7600 रुपये (स्थिर) की बजाए जैसा कि आयोग ने सिफारिश किया है, 8000 रुपये (स्थिर) होगा ।

(iii) भारत सरकार के अपर सचिव के पद व समकक्ष पदों का वेतनमान 7300-100-7600 रुपये होगा ।

(iv) भारतीय विदेश सेवा का वरिष्ठ समय वेतनमान और प्रवरण ग्रेड क्रमशः 3200—4700 रुपये और 4800—5700 रुपये होगा और इस सेवा के लिए एक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3950—5000 रुपये) (गैर-कार्यात्मक) होगा ।

III—अन्य मामलों से संबंधित सिफारिशें :

(i) यह निर्णय किया गया है कि अवरुद्धता वेतन वृद्धि की योजना को, जिसकी आयोग ने सिफारिश की है, उन समूह "क" अधिकारियों पर लागू कर दिया जाए जिनका अधिकतम वेतनमान संशोधित वेतनमान में 6700 रुपये से अधिक नहीं है ।

(ii) यह भी निर्णय किया गया है कि सी. एच. एस. में सामान्य ड्यूटी डाक्टरों और रेलवे तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों में डाक्टरों के सेवा चार्ट और सेवा में प्रोन्नति के बारे में जांच करने के लिए एक अन्तर-विभागीय समिति गठित की जाए क्योंकि आयोग ने ऐसी जांच किए जाने की सिफारिश की है।

(iii) वेतन निर्धारण, भत्तों की स्वीकृति, प्रभावी होने की तारीख आदि से संबंधित आयोग की सिफारिशों को, समूह "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों के संबंध में स्वीकृत सुधारों को, जहां कहीं व्यवहार्य हो, केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं/पदों और अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू करने के बाद, सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाएगा ।

2 स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार यह आशा करती है कि समूह "क" और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, उपरोक्त निर्णयों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली, मार्च, 1986 के बाद की अवधि की बकाया राशि को भी अपनी भविष्य निधि में स्वेच्छापूर्वक विशेष तौर पर जमा करा देंगे । तथापि, सी. पी. एफ. में जमा की जाने वाली राशि के लिए, जिसमें जनवरी से मार्च, 1986 की अवधि भी शामिल है, सरकार से तदनुरूपी अंशदान नहीं किया जाएगा ।

3 इस संकल्प के साथ तथ्यों विवरण के कालम 2 में वर्णित केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं/पदों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय विवरण के कालम 3 में दर्शाया गया है । अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में, उन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए, जो भी उन पर लागू हों, इन सेवाओं के संबंधी नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

4 आयोग द्वारा की गई जो सिफारिशें अनुबंध में शामिल नहीं है, उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और उनके संबंध में किए जाने वाले निर्णयों को अलग से अधिसूचित कर दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश, दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासनों व अन्य सभी संबंधितों को भेज दी जाए ।

ए. रंगाचारी, अवर सचिव

अनुबन्ध

समूह "क" सेवाओं/पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार द्वारा उन पर लिए गए निर्णय दर्शाने वाला विवरण ।

(विवरण में अध्यायों और पैराग्राफों के बारे में जो संदर्भ दिए गए हैं वे वेतन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित हैं)

क्र. सं.	चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार द्वारा किया गया निर्णय
1	2	3
(1)	वेतन	
(क) (i)	समूह "क" सेवाओं/पदों के बारे में निम्नलिखित 15 संशोधित वेतनमान सुझाए गए हैं । 1. 2200-75-2800-ब.रो.-100-4000/- रु. 2. 3000-100-3500-125-4500 /- रु. 3. 3000-100-3500-125-5000/- रु. 4. 3700-125-4700-150-5000/- रु. 5. 4100-125-4850-150-5300/- रु. 6. 4500-150-5700/- रु. 7. 5100-150-5700/- रु. 8. 5900-200-6700/- रु. 9. 5100-150-6300-200-6700/- रु. 10. 5900-200-7300/- रु. 11. 7300/- रु. निश्चित 12. 7300-200-7500-250-8000/- रु. 13. 7600/- रु. (निश्चित) 14. 8000/- रु. (निश्चित) 15. 9000/- रु. (निश्चित) (अध्याय 8, पैराग्राफ 8,9 तथा 8.73)	वैज्ञानिक पदों और अपर सचिव तथा उसके समकक्ष पदों पर लागू होने वाले कतिपय वेतनमानों में परिवर्तन करते हुए स्वीकृत । केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 में संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं ।
(ii)	जिन संशोधित वेतनमानों की सिफारिश अध्याय 8 में की गई है वे, उन पदों को छोड़कर जिनके लिए विस्पष्ट रूप से अध्याय 9,10, 11 और 27 में सिफारिशें की गई हैं, सभी पदों पर लागू होंगे। भविष्य में सृजित किए जाने वाले किसी भी पद को आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्धारित किसी भी एक या दूसरे वेतनमान में रख सकना संभव होना चाहिए । (अध्याय 8 पैराग्राफ 8.9 और 8.72)	स्वीकार कर ली गई ।
(iii)	कतिपय पदों अथवा श्रेणियों के संशोधित वेतनमानों के संबंध में आयोग ने रिपोर्ट के अध्याय 9.10.11 और 27 में स्पष्ट सिफारिशें की हैं । (अध्याय 10 पैराग्राफ 10.249)	कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई है जिन्हें अलग से अधिसूचित किया जा रहा है । देशज औषध प्रणाली/होम्योपेथी में डिग्रीधारियों के वेतनमानों के संबंध में आयोग की सिफारिशों के बारे में निर्णय बाद में घोषित किया जाएगा ।
(iv)	संगठित केन्द्रीय सेवाओं में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड--II (2250--2500/- रु.) और स्तर--I(2500--2750/- रु.) के पदों को मिला दिया जाना चाहिए और उन्हें (5900-200-6700/- रु.) का वेतनमान दिया जाना चाहिए । (अध्याय 8, पैराग्राफ 8.65)	स्वीकार कर ली गई ।
(ख)	समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के मामले में प्रवरण ग्रेड में पदोन्नति के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अधिकतम दो वर्ष के गतिरोध की मौजूदा शर्त को हटा दिया जाना चाहिए । प्रवरण ग्रेड में पदोन्नति के मानदण्ड और प्रवरण ग्रेड पदों की संख्या का हिसाब लगाने का आधार अखिल भारतीय और समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं में एक समान होना चाहिए । (अध्याय 23, पैराग्राफ 23.12)	स्वीकार कर ली गई।

1	2	3
2.	जो व्यक्ति अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जायें उन्हें राहत प्रदान करने के विचार से वरिष्ठ समय वेतनमान स्तर तक समूह "क" सेवाओं/पदों में सभी सेवाओं को संबद्ध वेतनमानों के अधिकतम वेतनमान पर हर दो वर्ष पूरा करने पर एक गतिरोध वेतनवृद्धि दी जाये । अधिक से अधिक ऐसी तीन वृद्धियां दी जा सकती हैं । (अध्याय 23, पैराग्राफ 23.10)	इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि गतिरोध वेतनवृद्धि की योजना समूह "क" के उन अधिकारियों पर लागू होगी जिनके वेतनमान का अधिकतम स्तर 6700/- रु. से अधिक न हो।
3.	पैराग्राफ 30.2 में वर्णित तरीके प्रस्तावित वेतनमान में कर्मचारियों का वेतन निश्चित किया जाये । (अध्याय 30)	इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि न्यूनतम लाभ 50/- रु. की बजाय 75/- रु. होना चाहिये ।
4.	(1) वित्त नियम 22-ग एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति के सभी मामलों में लागू होना चाहिये बशर्ते कि उच्च पद में वेतन निर्धारित करने से पहले निम्न पद में जोड़ी जाने वाली राशि 25/- रु. से कम नहीं होनी चाहिये । (अध्याय 23, पैराग्राफ 23.14)	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि कोई न्यूनतम लाभ की सीमा नहीं होगी ।
	(2) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिव से उप-सचिव के पद पर पदोन्नति के मामले में न्यूनतम वृद्धि की राशि 150/- रु. से बढ़ाकर 250/- रु. कर दी जानी चाहिये। (अध्याय 9. पैराग्राफ 9.25)	अस्वीकृत । इन मामलों में भी वेतन का निर्धारण एफ आर. 22 सी के अन्तर्गत किया जाना चाहिये जैसा कि अन्य पदोन्नतियों के मामलों में किया जाता है ।
5.	मूल्य वृद्धि के लिये मुआवजा	
	(1) जब तक सरकार किसी नये सूचक अंक को प्रतिस्थापित नहीं करती तब तक मूल्य वृद्धि के लिये कर्मचारियों को मुआवजा दिये जाने के प्रयोजन से औद्योगिक कर्मचारी (सामान्य) अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1960-100) को ही उपयोग में लाया जाना चाहिये ।	इस परिवर्तन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि मूल्य वृद्धि का मुआवजा सितम्बर के वेतन के साथ पहली जुलाई से और मार्च के वेतन के साथ पहली जनवरी से अदा किया जायेगा ।
	(2) 12 महीनों के सूचक अंकों के 608 के औसत (1960=100), जिससे सिफारिशों के अनुसार निर्धारित वेतनमान संबंधित हैं, ऊपर मूल्य वृद्धि हो जाने पर मुआवजा अदा किया जाना चाहिये ।	
	(3) मुआवजे की मंजूरी मार्च और सितम्बर के वेतनों के साथ अदा किये जाने के लिये एक वर्ष में दो बार प्रदान की जानी चाहिये।	टिप्पणी : वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. संख्या 13017/1/86-ई.-II(बी), दिनांक 24-6-86 के द्वारा 1-4-86 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जिन किस्तों की मंजूरी दी गई है और उसके अनुपालन में अप्रैल, मई और जून, 1986 में जिन धनराशियों की अदायगी कर दी गई है उनका संशोधित फार्मूले/वेतनमानों के संशोधन के कारण देय बकाया राशि के अनुसार अदा किये जाने वाले महंगाई भत्ते में समायोजित कर दिया जायेगा ।
	(4) उपर्युक्त सूचक अंक के 12 महीनों के औसत में प्रत्येक वर्ष दिसम्बर और जून में समाप्त होने वाली अवधियों में 608 के औसत सूचक अंक से जितनी भी प्रतिशत वृद्धि हो उसे केवल संपूर्ण अंकों में ही ग्रहण किया जाना चाहिये और भिन्नात्मक वृद्धि को अग्रेषित कर देना चाहिये ।	
	(5) मूल वेतन पर कर्मचारियों को प्रदेय मुआवजे की दर, सूचक अंक के 608 अंक के औसत पर भी पूर्णांकों में परिकलित की जानी चाहिये और भिन्नात्मक वृद्धि को अग्रेषित किया जाना चाहिये ।	
	(6) जो कर्मचारी 3500/- रु. तक का मूल वेतन ले रहे हैं, उनके लिये 100 प्रतिशत, 3501/- रु. से 6000/- रु. तक 75 प्रतिशत और 6000/- रु. से अधिक के लिये मामूली समायोजन करके 65 प्रतिशत मूल्य-वृद्धि निराकरण की व्यवस्था की जानी चाहिये।	
	(7) मुआवजे को परिलब्धियों के एक अलग तत्व के रूप में प्रवर्णित किया जाना चाहिये। (अध्याय 13. पैराग्राफ 13.20)	
6.	विशेष वेतन कुछ मामलों में आयोग ने संशोधित वेतनमानों की सिफारिश की है जिनमें विशेष वेतन भी सम्मिलित है । प्रस्तावित वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश है कि विशेष वेतन की मौजूदा दरों को जहां कहीं लागू हों, 500 रुपये प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दूगना कर दिया जाये ।	स्वीकृत । संबंधित मंत्रालय/विभाग उन पदों की, जिनके लिये इस समय विशेष वेतन ग्राह्य है, अलग से समीक्षा करेंगे ताकि विशेष वेतन वाले पदों की संख्या को सीमित किया जा सके, तथा समीक्षा की परिणामों की रिपोर्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास 31-5-1986 से पहले भेज देंगे ।
7.	प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता : सरकार प्रस्तावित संशोधित वेतनमानों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति भत्ते का उपयुक्त रूप से निर्धारण कर सकती है । प्रतिनियुक्ति भत्ता एक निश्चित दर पर दिया जाना चाहिये, वेतन के प्रतिशत के रूप में नहीं । (अध्याय 24, पैराग्राफ 24.5)	प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता एक ही शहर में स्थानान्तरण के मामले में, 250 रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर से और अन्य मामलों में 500 रु. की उच्चतम सीमा के अधीन मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा ।

1	2	3

8 प्रतिपूरक भत्ते : नगर पूरक भत्ता

(i) शहरों को वहां की तुलनात्मक महंगाई के आधार पर वर्गीकृत करना बड़ा पेचीदा और काफी समय खपने वाला कार्य है । इस सुझाव का स्वीकार करना कठिन है कि नगर पूरक भत्ता सभी स्थानों पर दिया जाये क्योंकि सामान्य निर्वाह व्यय में होने वाली वृद्धि की प्रतिपूर्ति समय-समय पर महंगाई भत्ते की अदायगी की स्कीम द्वारा की जाती है।
(अध्याय 17, पैराग्राफ 17.3) — स्वीकृत

(ii) प्रतिपूरक नगर भत्ता निम्नलिखित नीचे उल्लिखित निर्धारित दरों पर अदा किया जाये :—

वेतन रेंज	विभिन्न श्रेणी के नगरों में प्रतिपूरक नगर भत्ते की रकम (प्रति माह)			
	ए.	बी-1	बी-2	
2200 रुपये तथा उससे अधिक	100	75	20	स्वीकृत (कुछ विशेष स्थानों के मामले में, जहां पर यह भत्ता बी-2 श्रेणी शहरों पर लागू होने वाली दरों पर दिया जा रहा है, आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं)।

9. मकान किराया भत्ता :

(i) नगरों की जनसंख्या पर आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में मकान किराया भत्ता देने की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाये ।
(अध्याय 14 पैरा 14.25) — स्वीकृत

(ii) नगरों को भी वर्तमान तीन श्रेणियों अर्थात् ख-I और ख-II तथा ग में वर्गीकृत किया जाना जारी रखा जाये । उन अवर्गीकृत शहरों/कस्बों में भी मकान किराया भत्ता अदा किये जाने की वास्तविक आवश्यकता है जहां इस समय यह देय नहीं है।
(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.25) — स्वीकृत

(iii) सरकारी कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की अदायगी उस टाइप के सरकारी आवास के संदर्भ में की जानी चाहिये, जिसके लिये वे अपनी वेतन सीमा के आधार पर हकदार है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी विशेष टाइप के आवास के हकदार, किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता निश्चित राशि में देय होना चाहिये और यह तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उसकी हकदारी में परिवर्तन नहीं हो जाता ।
(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.26) — स्वीकृत

(iv) कर्मचारियों का वर्गीकरण और विभिन्न श्रेणियों के शहरों में उन्हें देय मकान किराये भत्ते की राशि निम्नलिखित रूप में होनी चाहिये :—

जिस टाइप के आवास के लिये हकदार है	हकदारी के लिये प्रस्तावित वेतनमानों में वेतन सीमा	निम्न श्रेणियों के शहरों में देय मकान किराये भत्ते की राशि		
		क, ख-I, और ख-II श्रेणी के शहर	ग श्रेणी के शहर	अवर्गीकृत स्थान
सी	2200-2799	450	220	100
डी	2800—3599	600	300	150
ई	3600—4499	800	400	200
ई-I ई-II ई-III	4500—6699 6700—7299 7300 और अधिक	1000	500	300

(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.27)

1	2	3
	(v) उपर्युक्त दरों पर मकान किराया भत्ता सभी कर्मचारियों को (उनको छोड़कर, जिन्हें सरकारी/किराये पर दिया गया आवास प्रदान किया गया है) अदा किया जाये, और इसके लिये उन्हें किराये की रसीद प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होना चाहिये । लेकिन उनके लिये यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होना चाहिये कि वे किराये पर कुछ व्यय कर रहे हैं/किराये के संबंध में कुछ अंशदान कर रहे हैं । अपने स्वयं के मकानों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी उपर्युक्त दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जाये, बशर्ते कि वे यह प्रमाण-पत्र दें कि वे मकान अथवा सम्पत्ति कर अथवा मकान के अनुरक्षण के संबंध में अदायगी/अंशदान कर रहे हैं । (अध्याय 14, पैराग्राफ 14.27)	स्वीकृत
	(vi) उन मामलों में, जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को किराये के बिना आवंटित किये गये सरकारी आवास को शेयर करता है अथवा अपने माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पत्नी अथवा पति को आवंटित हुए सरकारी आवास में रहता/रहती है, जो अन्य शर्तें इस समय लागू हैं, वे लागू होती रहेंगी। (अध्याय 14, पैराग्राफ 14.27)	स्वीकृत
	(vii) कुछ मामलों में वेतन की सीमा पर, जहां तक मकान किराया भत्ता दिया जाता है पाबन्दियां लगी हुई हैं । उन सभी स्थानों पर, जहां इस समय वेतन के 15 प्रतिशत दर पर मकान किराया भत्ता देय है, वे उन दरों पर अदा किया जाये, जिनकी सिफारिश वेतन आयोग द्वारा "क", "ख"-I और "ख"-II श्रेणी के नगरों के लिये की गई है । उन अन्य मामलों में, जिन पर विशेष आदेश लागू होते हैं, मकान किराया भत्ता उन दरों पर अदा किया जाये, जिनकी सिफारिश वेतन आयोग ने "ग" श्रेणी के नगरों के लिये की है । इन दोनों मामलों में मकान किराया भत्ते के लिये वेतन की कोई उच्चतम सीमा नहीं होनी चाहिये । (अध्याय 14, पैराग्राफ 14.28)	स्वीकृत
	(viii) जब तक सरकार, संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव में विशेष आदेशों के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता देना जारी रखती है, तब तक यह उस दर पर दिया जाये, जिनकी सिफारिश वेतन आयोग द्वारा "ग" श्रेणी के नगरों के लिये की गई है । (अध्याय 14, पैराग्राफ 14.29)	स्वीकृत
	10. पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता/शीतकालीन भत्ता : उन सभी स्थानों पर, जहां इस समय पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता देय है, समूचे वर्ष भर वर्तमान पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते और शीतकालीन भत्ते को मिलाकर एक संयुक्त भत्ता दिया जाए, जिसकी दरें निम्नलिखित हैं:—	स्वीकृत

बुनियादी वेतन	संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते की मासिक दर (रुपये)
2200 रुपये और अधिक (अध्याय 17, पैराग्राफ 17.8)	150 रुपये

11. प्रतिकूल जलवायु भत्ता : प्रतिकूल जलवायु भत्ता सरकारी कर्मचारियों को खराब जलवायु वाले क्षेत्रों में सेवा संबंधी कठिनाइयों के मुआवजे के रूपये में दिया जाता है । यह भत्ता उन स्थानों पर दिया जाता है, जिन्हें संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को भत्ता देने के लिए प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र घोषित किया गया हो। प्रतिकूल जलवायु भत्ता मौजूदा मानदंडों के आधार पर, लेकिन वेतन की किसी उच्चतम सीमा के बिना, इन निम्न-लिखित दरों पर दिया जाना चाहिए:—	स्वीकृत

वेतन सीमा	प्रतिकूल जलवायु भत्ते की मासिक दर (रुपये)
बुनियादी वेतन 2200–2999 रु०	80
बुनियादी वेतन 3000 रुपये और अधिक	100
(अध्याय 17, पैराग्राफ 17.14)	

(1)	(2)	(3)

12. परियोजना/निर्माण भत्ता :

केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जो वृहद परियोजनाओं के निर्माण के संबन्ध में अविकसित और एकान्त स्थानों पर काम कर रहे हों, परियोजना/निर्माण भत्ता दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें परियोजना स्थल पर आवास, स्कूलों, मार्केट, औषधालयों जैसी सुविधाओं के अभाव के लिए मुआवजा देना है। जब ये सुविधाएं परियोजना स्थल पर अथवा उसके निकट उपलब्ध हो जाती हैं, तो यह भत्ता चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाता है। वर्ष 1970 से शुरू होने वाले दशक में सरकार ने परियोजना भत्ता देने के मार्गदर्शक निर्देशों और उसकी स्वीकृति देने की प्रक्रिया को दोषरहित बनाया था। इसके बाद परियोजना भत्ता परियोजना-क्षेत्रों में परियोजना भिन्न कर्मचारियों को दिया जाने लगा, जिसकी दर परियोजना कर्मचारियों को देय भत्ते की दरों की 50 प्रतिशत थी। परियोजना भत्ते की अदायगी का विनियमन करने वाले मौजूदा निर्देशों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी दरों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाए:—

स्वीकृत

वेतन सीमा	परियोजना भत्ते की मासिक दरें (रुपये)
बुनियादी वेतन 2200-2999 रुपये	300
बुनियादी वेतन 3000 रुपये और अधिक	375

(अध्याय 17, पैराग्राफ 17.17)

13. विशेष प्रतिपूरक भत्ता:

सीमा क्षेत्र भत्ते, दूरस्थ स्थान भत्ते और कठिन क्षेत्र भत्ते के रूप में दिए जाने वाले विशेष प्रतिपूरक भत्ते की दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि मोटे रूप से एक ही प्रकार की स्थानीय कठिनाइयों, स्थितियों आदि वाले स्थानों के मामले में उनमें कुछ एक रूपता लाई जा सके। द्वीपीय क्षेत्रों के मामले में दो विभिन्न किस्मों के भत्तों के स्थान पर एक ही संयुक्त प्रतिपूरक भत्ता देना वांछनीय होगा। इसके अलावा, ये भत्ते एक समान दरों पर दिये जाने चाहिए। सिफारिश किये गए वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए, ये भत्ते निम्नलिखित दरों पर दिए जाएंगे:—

स्वीकृत

क्रम संख्या	क्षेत्र	विशेष प्रतिपूरक भत्ते की मासिक दरें (रुपये)	
		बुनियादी वेतन 2200—2999 रुपए	बुनियादी वेतन 3000 रुपये और अधिक
1	2	3	
1.	पैरा 17.9 में दी गई सारणी की क्रम संख्या 1 से 10 में सूचीबद्ध क्षेत्र	500	650
2.	पैरा 17.9 में दी गई सारणी की क्रम संख्या 11 से 17 में सूचीबद्ध क्षेत्र	400	525
3.	पैरा 17.9 में दी गई सारणी की क्रम संख्या 18 से 24 में सूचीबद्ध क्षेत्र	300	375
4.	पैरा 17.9 में दी गई सारणी की क्रम संख्या 25 और 26 में सूचीबद्ध क्षेत्र	80	100

(अध्याय 17, पैराग्राफ 17.11)

1	2	3

14. मिजोरम में गड़बड़ी वाला क्षेत्र भत्ता

सरकार, आयोग द्वारा सुझाई गई विशेष प्रतिपूरक भत्ते की संशोधित दरों को ध्यान में रखते हुए मिजोरम में विशेष भत्ता (गड़बड़ी वाले क्षेत्र भत्ता) को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करे।

(अध्याय 17, पैरा 17.12)

स्वीकृत। इस बीच भत्ता विद्यमान दरों पर दिया जाता रहे।

(1)	(2)	(3)
15.	जनजातीय क्षेत्र भत्ता	
	कुछ स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जनजातीय क्षेत्र भत्ता, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले ऐसे ही भत्ते के आधार पर स्वीकृत किया गया है । लेकिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते की दरें भिन्न है जो 20 रुपये से 50 रुपये मासिक तक हैं । इस भत्ते की दरें वही होनी चाहिएं जिनकी सिफारिश प्रतिकूल जलवायु भत्ते के लिए की गई है । हाल में कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को कुछ स्थानों पर जनजातीय क्षेत्र भत्ता स्वीकृत किया गया है, लेकिन इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए इसकी मंजूरी नहीं दी गई है । यह भत्ता जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए एक प्रोत्साहन स्वरूप इसकी मंजूरी राज्य सरकारों द्वारा की गई है, वहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी यह भत्ता दिया जाए । (अध्याय 17, पैरा 17.15 और 17.16)	स्वीकृत
16.	जोखिम भत्ता :	
	कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के जोखिम भत्ते को युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं । मामले की सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाने वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा सकती है। समिति न केवल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए भत्ता मंजूर करने की आवश्यकता के बारे में जांच करे बल्कि इसकी पर्याप्तता की भी जांच करे । इसी दौरान, विद्यमान दरों में 100 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की जाती है । (अध्याय 17, पैराग्राफ 17.21 से 17.23)	विशेषज्ञ समिति नियुक्त किए जाने की सिफारिश स्वीकृत । इसी बीच मौजूदा दरों पर जोखिम भत्ता देना जारी रखा जाए ।
17.	यात्रा भत्ता	
	(1) आयोग ने रिपोर्ट के अध्याय 18 में वर्णित यात्रा भत्ते से संबंधित निम्नलिखित मामलों के संबन्ध में कुछ दरों और या शर्तों के बारे में सिफारिश की है :— (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वर्गीकरण (ख) सड़क मील भत्ता । (ग) यात्रा और स्थानान्तरण पर रेल द्वारा यात्रा की हकदारी । (घ) दैनिक भत्ते की दर । (ङ) स्थानान्तरण अनुदान तथा पैकिंग भत्ता । (च) रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच व्यक्तिगत वस्तुओं का परिवहन । (छ) रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच वस्तुओं का परिवहन । (ज) स्थानान्तरण पर सरकारी कर्मचारियों की हकदारी (झ) बच्चों के लिए यात्रा सहायता । (ञ) आश्रित संबन्धियों के लिए आय की सीमा ।	स्वीकृत
	(2) वायुयान से यात्रा करने के संबन्ध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि भारत सरकार के अवर सचिव तथा उसके समकक्ष ओहदे के अधिकारियों को देश में एग्जीक्यूटिव श्रेणी से यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाए ।	स्वीकृत
	(3) सामान्य :	
	यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की दरों की सरकार द्वारा समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यक होने पर उन्हें संशोधित किया जाए । (अध्याय 18, पैरा 18.17)	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)

18. सवारी भत्ता

सवारी भत्ते की दरें निम्न प्रकार संशोधित की जानी चाहिए :

सरकारी ड्यूटी पर औसत मासिक यात्रा	अपनी मोटरकार द्वारा	सवारी के अन्य वाहन द्वारा
	यात्रा के लिए सवारी भत्ते की दर	
201–300 कि.मी.	300 रुपये प्र.मा.	100 रुपये प्र.मा. स्वीकृत
301–450 कि.मी.	450 रुपये प्र.मा.	130 रुपये प्र.मा.
451–600 कि.मी.	550 रुपये प्र.मा.	170 रुपये प्र.मा.
601–800 कि०मी.	650 रुपये प्र.मा.	200 रुपये प्र.मा.
800 कि.मी. से अधिक	800 रुपये प्र.मा.	230 रुपये प्र.मा.

सवारी भत्ते की अदायगी के लिए अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

(अध्याय 18, पैरा 18.6)

19. छुट्टी की हकदारी :

(i) यह सिफारिश की जाती है कि अर्जित अवकाश जमा होने की 180 दिन की विद्यमान सीमा को बढ़ाकर 240 दिन कर दिया जाए। यह भी सिफारिश की जाती है कि सेवा-निवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के बदले नकद राशि की सीमा को भी बढ़ाकर 240 दिन कर दिया जाए।	स्वीकृत। सभी अधिकारियों को अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे कि किसी भी कर्मचारी को आमतौर से छुट्टी देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।
(ii) इस समय अध्ययन संबंधी छुट्टी की मंजूरी की शर्त के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसी छुट्टी लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि वह सेवा-निवृत्त होने वाला है अथवा उसे उस तारीख से तीन वर्ष के अन्दर सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने का विकल्प प्राप्त है, जिस तारीख को छुट्टी समाप्त होने के बाद उसके ड्यूटी पर वापस आने की सम्भावना है। "अथवा सेवा-निवृत्त होने का विकल्प प्राप्त है" शब्दों को नियमों से निकाल दिया जाए। विद्यमान नियम स्पष्ट नहीं है कि क्या उन मामलों में भी अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकती जिनमें अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम एक से अधिक अवधि में पूरा किया जाए। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नियमों को संशोधित किया जाए और अध्ययन छुट्टी को, विद्यमान सीमाओं के अन्तर्गत जहां कहीं आवश्यक हों, दो अवधियों में लेने की अनुमति दी जाए।	स्वीकृत। केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 में आवश्यक संशोधन जारी कर दिए गए हैं।
(iii) प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को 15-15 दिन की दो किस्तों में अर्जित अवकाश जमा करने की मौजूदा पद्धति पर पुनर्विचार किया जाए ताकि जिन मामलों में कर्मचारियों ने पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई को पहले ही 180 दिन का अर्जित अवकाश जमा कर लिया हो उन्हें होने वाले नुकसान को दूर किया जा सके। (अध्याय 26, पैराग्राफ 26.2)	अस्वीकृत, क्योंकि इससे उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनके पास पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई से पहले कोई छुट्टी जमा नहीं होगी।

20. चिकित्सा सुविधाएं :

(क) जो कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत आते हों, उन्हें बहिरंग इलाज के लिए 25 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से निश्चित चिकित्सा भत्ता दे दिया जाए। किन्तु कैंसर, मधुमेह आदि जैसी विशेष बीमारियों पर, जिनका रिपोर्ट के पैराग्राफ 16.9 में उल्लेख किया गया है और अस्पताल में भर्ती होने पर किए जाने वाले खर्चों की, पहले की भांति सभी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती रहेगी। (अध्याय 16 पैराग्राफ, 16.9)	अस्वीकृत। आवश्यकता पड़ने पर समुचित इलाज की सुविधा प्रदान करने पर महत्व दिया गया है न कि बिना आवश्यकता के भत्तों का भुगतान करने पर। मौजूदा कमियों को दूर करने और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है। इस बीच प्रतिपूर्ति योजना जारी रहेगी।
(ख) माता-पिता, बहनों, विधवा बहनों, नाबालिग भाइयों, तथा बच्चों को सरकारी कर्मचारी पर आश्रित माना जा सकता है यदि वे उसके साथ रहते हों और यदि उनकी पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान लाभों के बराबर पेंशन की राशि समेत सभी स्रोतों से आय 500/- रुपए प्रतिमाह से कम हो। (अध्याय 16, पैराग्राफ 16.10)	स्वीकार कर लिया गया है।

(1)	(2)	(3)
21.	कार्य घंटे : सरकारी कर्मचारियों के कार्य के घंटों पर जो इस समय 37-1/2 प्रति सप्ताह है, सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाए और उनमें उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने तथा उसमें सुधार करने की दृष्टि से यथोचित वृद्धि कर दी जाए । (अध्याय 26, पैराग्राफ 26.6)	स्वीकृत : प्रत्येक कार्य दिवस में 1/2 घंटे की वृद्धि करके कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 40 कर दिए जाएंगे ।
22.	सेवाओं तथा पदों का वर्गीकरण : वर्गीकरण की मौजूदा पद्धति को जारी रखा जाए और समूह "क" के लिए संशोधित वर्गीकरण के अन्तर्गत वे सिविल पद आने चाहिए जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा 4000/-रुपए से कम न हो। जहां कहीं इस तरह के परिवर्तन हों जिनका उल्लेख पैराग्राफ 26.50 में किया गया है तो उन पदों के मामले में विद्यमान वर्गीकरण को जारी रखा जाए । किन्तु सरकार चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों में वर्गीकरण में पुनर्विचार कर सकती है । (अध्याय 26, पैराग्राफ 26.52)	विद्यमान वर्गीकरण सांकेतिक रूप से जारी रखा जाएगा ।
23.	सामान्य भविष्य निधि : सभी कर्मचारियों के लिए अंशदान की मौजूदा दरों पर भविष्य निधि योजना को अनिवार्य बनाए रखा जाए। भविष्य निधि खाते से किसी भी प्रयोजन के लिए कोई अग्रिम लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । भविष्य निधि खाते से वापस न की जाने वाली निकासियों को भी सीमित कर दिया जाना चाहिए और केवल बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वयं अथवा बच्चों के विवाह, कर्मचारी की बीमारी और मकान बनाने के लिए प्लाट खरीदने, अपने रहने के लिए मकान/बना बनाया फ्लैट खरीदने के लिए, जिसमें प्लाट की लागत भी शामिल है, रकम निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। निकासियों की राशि की सीमा तथा पात्रता शर्तें पहले की भांति ही रखी जाएं, सिवाए किसी मकान को खरीदने के लिए निकासी के संबंध में; जिन मामलों में निकासी वाली राशि और/अथवा सेवा की अवधि के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । (अध्याय 20, पैराग्राफ 20.4)	अंशदान की मौजूदा दरों पर सामान्य भविष्य निधि योजना को जारी रखने की सिफारिश स्वीकृत । अग्रिम और निकासी के नियमों को कड़ा बनाए जाने के बारे में दी गई अन्य सिफारिश की जांच की जानी है ।
24	वेतनवृद्धि : सभी स्तरों पर किन्तु सेवा के सबसे वरिष्ठ स्तरों पर कार्यनिष्पादन से संबद्ध वेतनवृद्धियां केवल उन्हीं को दी जानी चाहिएं जो पूर्ण संतोषजनक ढंग से सेवा करें। इस प्रयोजन के लिए सेवा नियमों में संतोषजनक सेवा की परिभाषा शामिल की जाए । कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक उचित मानदण्ड तैयार किया जाए और अधिकारियों की एक समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रेणी निर्धारित की जाए। जिस कर्मचारी का निरन्तर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन रहे उसे सीमित संख्या में बगैर रोकान वाले नकद लाभ या दुगुनी दर पर वार्षिक वेतन-वृद्धि दे दी जाए । (अध्याय 7, पैराग्राफ 7.60)	स्वीकार नहीं की गई । क्योंकि वेतनवृद्धि को रोकना सी. सी. एस. (सी.सी.ए.) नियमों, 1965 के अन्तर्गत एक दण्ड है। इसलिए वेतन-वृद्धि को रोकने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा बन जाएगी और यदि वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली गई तो इसे क्रियान्वित करना प्रशासनिक रूप से कठिन होगा । वेतनवृद्धि की हर प्रकम पर समीक्षा करना, कार्यकुशलता के लिए भी सहायक सिद्ध नहीं होगा । वक्षतारोध अथवा पदोन्नति के समय इस प्रकार की समीक्षा करना बेहतर होगा ।
25.	आयोग ने कुछ उच्च स्तर के पदों से संबद्ध सेवाओं में संवर्गीकरण का सुझाव दिया है, जैसे :—आई. आर. ए. एस. में वित्तीय आयुक्त (रेलवे), केन्द्रीय सड़क इंजीनियरी सेवा महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक, इंडियन सप्लाई सर्विस/इंडियन इन्सपेक्शन सर्विस में में संभरण तथा निपटान महानिदेशक, भारतीय सांख्यिकी सेवा में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के महानिदेशक, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) और भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में अध्यक्ष तथा सदस्य। (अध्याय 10, पैराग्राफ 10.398, 10.116, 10.465, 10.20, 10.353, 10.200)	स्वीकार नहीं की गई ।
26.	चिकित्सा अधिकारी : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, सामान्य ड्यूटी अधिकारी संवर्ग में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त संख्या में पदों का सृजन करके उसे उपयुक्त रूप से पुनर्गठित किया जाए ताकि उच्च श्रेणी के अधिकारियों को सेवा में तरक्की के संतोषजनक अवसर प्राप्त हो सकें । (अध्याय 10, पैराग्राफ 10.231)	इस सेवा के डाक्टरों के रोजगार और सेवा-कालीन पदोन्नति अवसरों की जांच करने के लिए एक अन्तर्विभागीय समिति नियुक्त की जाएगी ।

(1)	(2)	(3)
	(ङ) केन्द्रीय पुलिस संगठन में चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार करना आवश्यक है। संबद्ध विभाग को इन अधिकारियों की सेवा कालीन उन्नति के अवसरों की जल्दी से फिर से जांच करनी चाहिए और इस सेवा का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाए ताकि इन्हें भी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बराबर पदोन्नति के अवसर मिल सकें । (अध्याय 10, पैराग्राफ 10.259) (ग) रेलवे चिकित्सा सेवा में विशेषज्ञों का अलग से कोई संवर्ग नहीं है और स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त डाक्टर विशेषज्ञों के रूप में कार्य करते हैं। रेलवे चिकित्सा सेवा के वर्तमान संवर्ग में इस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं । इस सेवा का पुनर्गठन करना आवश्यक है ताकि जहां कहीं आवश्यक हो, विशेषज्ञों के पदों के सृजन सहित, विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त संख्या में पदों का निर्माण किया जा सके । (अध्याय 10, पैराग्राफ 10.403)	
27. प्रभावी बनाने की तारीख :		
(i) सिफारिश किए गए वेतनमानों का लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से देना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक होगा ।		अनुबन्ध की मद 1(क) में दी गई सिफारिशों के संबंध में निर्णय 1 जनवरी, 1986 से लागू किया जाएगा । पहली जनवरी, 1986 से मार्च, 1986 तक की अवधि के संबंध में बकायों की निवल राशि कर्मचारी के जी. पी. एफ./ सी. पी. एफ. खाते में जमा कर दी जाएगी । सी. पी. एफ. योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में सरकार (नियोक्ता) की ओर से कोई तदनुरूपी अंशदान नहीं किया जाएगा ।
(ii) अन्य मामलों से संबंधित सिफारिशों के बारे में सरकार को उन्हें किसी उपयुक्त तारीख से लागू करने के लिए, सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें प्रशासनिक तथा सेवा पद्धति संबंधी कार्य भी शामिल है, स्पष्ट निर्णय लेने होंगे ।		संबंधित सरकारी आदेश में प्रभावी होने की तारीख का उल्लेख कर दिया जाएगा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 13th March, 1987

RESOLUTION

No. F.14(2)/IC/86.—The decisions of the Government of India on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to civilian employees of the Central Government in Group 'B', 'C' and 'D' were notified in the Ministry of Finance Resolution No. 14(1)/IC/86 dated 13th September, 1986. Government have now given careful consideration to the recommendations of the Commission relating to structure of emoluments, allowances and conditions of service in respect of the Central Group 'A' services/posts, as also those in the All India Services, and have decided that the recommendations of the Commission in respect of these shall be accepted broadly, subject to the modifications mentioned below :

I. PAY SCALES OF ALL INDIA SERVICES :

(i) Indian Administrative Service :

The Senior Time Scale and Selection Grade of the Indian Administrative Service are to be Rs. 3200-4700 and Rs. 4800-5700 respectively and there is to be a Junior Administrative Grade (Rs. 3950-5000) (non-functional) for this service.

(ii) Indian Police Service :

The Indian Police Service is to have a non-functional Junior Administrative Grade (Rs. 3700-5000) and a Selection Grade (Rs. 4500-5700). The pay scale of DIG of Police will be Rs. 5100-150-5400-150-6150 (Rs. 5400 in the 18th year or later). The pay scale of DG (Police) in States is to be Rs. 7300-100-7600; in big States, the scale is to be Rs. 7600-100-8000.

(iii) Indian Forest Service :

The Indian Forest Service is to have a non-functional Junior Administrative Grade of Rs. 3700–5000, and a Selection Grade of Rs. 4100–5300. Conservator of Forests is to be in the scale of Rs. 4500-5700. The Additional Chief Conservator and Chief Conservator will be in the scale of Rs. 5900–6700. Principal Chief Conservator is to be in the scale of Rs. 7300–100–7600; in big States, the pay will be Rs. 7600 (fixed).

II. PAY SCALES OF CENTRAL GROUP 'A' SERVICES/POSTS :

(i) The following improvements have been made in the scales applicable to scientific posts in scientific organisations in which the scheme of Flexible Complementing is applicable :

Existing Scale (Rs.)	Scale recommended by the Commission (Rs.)	Revised Scale (Rs.)
1800–2250	4100-5300	4500-5700
2000–2500	4500–5700	5100-6300
2250–2750	5100-6700	5900-6700

(ii) The pay scale of the post of Director General, BSF and Director General, CRPF will be Rs. 8000 (fixed) instead of Rs. 7600 (fixed) as recommended by the Commission.

(iii) Pay scale of post of Additional Secretary to Government of India and equivalent is to be Rs. 7300–100-7600.

(iv) The Senior Time Scale and Selection Grade of the Indian Foreign Service are to be Rs. 3200–4700 and Rs. 4800–5700 respectively and there is to be a Junior Administrative Grade (Rs. 3950–5000) (non-functional) for this Service.

III. RECOMMENDATIONS RELATING TO OTHER MATTERS :

(i) It has been decided to extend the scheme of stagnation increment, recommended by the Commissioon, Group 'A' officers maximum of whose pay scale does not exceed Rs. 6700 in the revised scale.

(ii) It has also been decided to set up an inter-departmental Committee to look into the structure of services and career progression of General Duty Doctors in CHS and Doctors in Railways and Central Police Organisations as such an examination has been suggested by the Commission.

(iii) The recommendations of the Commission relating to fixation of pay, grant of allowances, date of effect etc. shall be accepted broadly after extending, wherever applicable, to Central Group 'A' services/posts and the All India Services, the improvements which have been accepted in regard to the employees of Groups 'B', 'C' and 'D'.

2. In view of the need for containing inflationary trends Government hope that Group 'A' and All India Services officers will voluntarily make a special deposit of the arrears of pay on account of the above decisions for the period beyond March, 1986, also in their provident fund account. The deposits made in the CPF account including for the period January to March, 1986 will, however, not be eligible for corresponding contribution from Government.

3. The decisions of the Government on the recommendations of the Commission in respect of Central Group 'A' services/posts mentioned in Column 2 of the statement annexed to this Resolution are indicated in Column 3 thereof. In regard to the All India Services, appropriate action will be taken by the Cadre Controlling Authority of these services to give effect to the decisions as may be applicable to them.

4. The recommendations made by the Commission, which are not included in the Annexure, are being examined by the Government and decisions thereon will be notified separately.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories and all others concerned.

A. RANGACHARI, Addl. Secy.

ANNEXURE

Statement showing the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to employees in Group 'A' Services/Posts and Government's decision thereon. (References to Chapters and paragraphs in the statement are to the Pay Commission's Report).

Sl.No.	Recommendations of the Fourth Pay Commission	Decision of Government
1	2	3
1.	PAY	
(a)	(i) The following 15 revised pay scales have been recommended for the Group 'A' Services/Posts. 1. Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 2. Rs. 3000-100-3500-125-4500 3. Rs. 3000-100-3500-125-5000 4. Rs. 3700-125-4700-150-5000 5. Rs. 4100-125-4850-150-5300 6. Rs. 4500-150-5700 7. Rs. 5100-150-5700 8. Rs. 5900-200-6700 9. Rs. 5100-150-6300-200-6700 10. Rs. 5900-200-7300 11. Rs. 7300/- (fixed) 12. Rs. 7300-200-7500-250-8000 13. Rs. 7600/- (fixed) 14. Rs. 8000/- (fixed) 15. Rs. 9000/- (fixed) (Chapter 8, paragraphs 8.9 and 8.73)	Accepted subject to changes in certain scales applicable to scientific posts and posts of Additional Secretary and equivalent. Amendments to Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986 are being issued separately.
	(ii) The revised pay scales recommended in Chapter 8, shall apply to all posts other than those for which specific recommendations have been made in Chapters 9, 10, 11 and 27. It should be possible to place any post created in future in one or the other scales recommended by the Commission. (Chapter 8, paragraphs 8.9 and 8.72)	Accepted
	(iii) Specific recommendations have been made in Chapters 9, 10, 11 and 27 in regard to revised scales of certain posts or categories. (Chapter 10)	Accepted subject to certain modifications which are being notified separately. Decision on the Commission's recommendations on the pay scales for degree holders in indigenous System of Medicine/Homoeopathy will be announced later.
	(iv) The posts in the Senior Administrative Grade Level-II (Rs. 2250-2500) and Level-I (Rs. 2500-2750) in the organised Central Services should be merged and given the scale of Rs. 5900-200-6700. (Chapter 8, paragraph 8.65)	Accepted.

1	2	3
	(b) In respect of Group 'A' Central Services, the present condition regarding stagnation at the maximum of the Junior Administrative Grade for two years for promotion to the Selection Grade, should be removed. The criteria for promotion to the Selection Grade and the basis for computing the number of Selection Grade posts should be uniform in All India and Group 'A' Central Services. (Chapter 23, paragraph 23.12)	Accepted.
2.	In order to provide relief to those who reach the maximum of their pay scale, one stagnation increment on completion of every two years at the maximum of the respective scales may be granted to all cadres in Group 'A' Services/Posts upto the Senior Time Scale Level. A maximum of three such increments may be allowed. (Chapter 23, paragraph 23.10)	Accepted with the modification that the scheme of stagnation increment will apply to Group 'A' officers maximum of whose scale does not exceed Rs. 6700/-.
3.	The pay of employees may be fixed in the proposed scales of pay in the manner laid down in paragraph 30.2. (Chapter 30)	Accepted subject to the modification that the minimum benefit shall be Rs. 75/- instead of Rs. 50/-.
4.	(i) FR-22.C should apply to all cases of promotion from one post to another subject to the condition that the amount to be added to pay in the lower post before fixing the pay in the higher post should not be less than Rs. 25/-. (Chapter 23, paragraph 23.15)	Accepted subject to the modification that there shall be no minimum benefit.
	(ii) The amount of the minimum increase in the case of promotion from Under Secretary to Deputy Secretary in the Central Secretariat Service may be raised from Rs. 150/- to Rs. 250/-. (Chapter 9, paragraph 9.25)	Not accepted. In these cases also pay should be fixed under FR-22C as in all over promotions.
5.	COMPENSATION FOR PRICE RISE	
	(i) Till a new index is approved by Government, the All India Average Consumer Price Index numbers for Industrial Workers (General) (Base 1960=100) may continue to be used for grant of compensation to employees for price rise.	Accepted subject to the modification that compensation for price rise would be paid from 1st July with salary for September and from 1st January with salary for March.
	(ii) Compensation may be paid for the price increase above the 12 monthly index average of 608 (1960=100), to which the pay scales recommended are related.	
	(iii) Compensation may be sanctioned twice a year payable with the salary for March and September.	Note :—The instalment of Additional Dearness Allowance sanctioned from 1-4-1986 vide Ministry of Finance O.M. No. 13017/1/86-E.II (B) of 24-6-1986 and amounts paid pursuant thereof for April, May and June 86 will be adjusted against the D.A. payable under the revised formula/arrears on account of revision of pay scales.
	(iv) The percentage increase in the 12 monthly average of the above index for the periods ending December and June each year over index average 608 may be taken in whole numbers only with fractions carried forward.	
	(v) The rate of compensation to the employees over the basic pay at index average 608 may also be in whole numbers with fractions carried forward.	
	(vi) Employees drawing basic pay upto Rs. 3500/- may be allowed 100% neutralisation, those between Rs. 3501/- to Rs. 6000/- be allowed 75% and those above Rs. 6000/- be allowed 65% subject to marginal adjustment.	
	(vii) The compensation may continue to be shown as a distinct element of remuneration. (Chapter 13, paragraph 13.20)	

1	2	3
6. SPECIAL PAY :		
The commission has suggested revised scales of pay inclusive of special pay in some cases. Keeping in view the scales of pay proposed, it is recommended that the existing rates of special pay, wherever admissible may be doubled subject to a ceiling of Rs. 500 per month.		Accepted. Ministries/Departments concerned will separately undertake review of posts for which special pay is now admissible with a view to limiting the number of special pay posts and report result of review to Department of Personnel & Training before 31-5-87.
7. DEPUTATION (DUTY) ALLOWANCE :		
Government may suitably determine the rates of Deputation Allowance with reference to the revised pay scales proposed, Deputation Allowance may be given at fixed rates and not as a percentage of pay. (Chapter 24, paragraph 24.5)		Deputation (Duty) Allowance should be paid at the rate of 5% of basic pay subject to a ceiling of Rs. 250 for transfers within the same station and at the rate of 10% of basic pay subject to a ceiling of Rs. 500/- in other cases.
8. COMPENSATORY ALLOWANCE		
City Compensatary Allowance :		
(i) Classifying cities on the basis of their comparative costliness is a complicated and time consuming process. The suggestion that CCA should be paid at all places is difficult to accept as increases in the general cost of living are compensated by the scheme of payment of dearness allowance from time to time. (Chapter 17, paragraph 17.3)		Accepted.
(ii) CCA may be paid at the fixed rates mentioned below :—		Accepted (for special localities where CCA at the rates applicable to B-2 class city are being paid, fresh orders will be issued separately).
Pay range	Amount of CCA in class of cities (Rs. p.m.)	
	A. B-1 B-2	
Rs. 2200 and above	100 75 20	
	(Chapter 17, paragraph 17.4)	
9. HOUSE RENT ALLOWANCE :		
(i) The existing system of payment of HRA with reference to classification of cities based on population may continue. (Chapter 14, paragraph 14.25)		Accepted.
(ii) The cities may also continue to be grouped into the existing three classes viz. A, B-1 and B-2 and C. There is a genuine need for payment of HRA in unclassified cities/towns also, where it is not admissible at present. (Chapter 14, paragraph 14.25)		Accepted.
(iii) The payment of HRA to Government employees should be related to the type of Government accommodation to which they are entitled on the basis of pay ranges. Under this arrangement fixed amount of HRA should be admissible to an employee entitled to a particular type of accommodation and this would not change until there is a change in his entitlement. (Chapter 14, paragraph 14.26)		Accepted.

1	2	3
(iv) The groupings of employees and the amount of HRA in different classes of cities may be as follows :—		Accepted.

Type of accommodation to which entitled	Pay range in proposed scale for entitlement (Rs.)	Amount of House Rent Allowance payable in		
		A, B-1 & B-2 class cities (Rs.)	'C' class cities (Rs.)	Unclassified places (Rs.)
1	2	3	4	5
C	2200–2799	450	220	100
D	2800–3599	600	300	150
E	3600–4499	800	400	200
E1	4500–6699	1000	500	300
E2	6700–7299			
E3	7300 and above			

(Chapter 14. paragraph 14.27)

(v) HRA at the above rates may be paid to all employees (other than those provided Government owned/hired accommodation) without requiring them to produce rent receipts. They should, however, be required to furnish a certificate to the effect that they are incurring some expenditure on rent/contributing towards rent. HRA at the above rates may also be paid to Government employees living in their own houses subject to their furnishing a certificate that they are paying/contributing towards house or property tax or maintenance of the house. — Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.27)

(vi) The other conditions at present applicable for the grant of HRA in cases where a Government employee shares Government accommodation allotted rent free to another Government employee or resides in Government accommodation allotted to his/her parents, son, daughter, wife or husband shall continue to be applicable. — Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.27)

(vii) There are also restrictions in some cases on the limit of pay upto which HRA is given. In all places where HRA is presently admissible at 15 per cent of pay, the same may be paid at the rates mentioned at (iv) above for A, B-1 and B-2 class cities. In other cases covered by special orders, HRA may be paid at the rate mentioned at (iv) above for 'C' class cities. In both these cases there should be no upper pay limit for payment of HRA. — Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.28)

(viii) So long as the Government continue to extend payment of HRA in the Union Territory of Goa, Daman and Diu under special orders, it may be paid at rate mentioned at (iv) above for 'C' class cities. — Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.29)

1	2	3

10. HILL COMPENSATORY ALLOWANCE/WINTER ALLOWANCE :

A composite allowance inclusive of the present HCA and WA should be allowed throughout the year at all places where HCA is presently admissible. The rates may be as follows :-- Accepted

Basic Pay	Rate of composite HCA per month
Rs. 2200 and above	Rs. 150/-

(Chapter 17, paragraph 17.8)

11. **BAD CLIMATE ALLOWANCE :**

Bad Climate Allowance (BCA) is granted to Central Government employees to compensate them for the rigours of service in areas which have a bad climate. The allowance is granted at those places which are declared by State Governments concerned as bad climate areas for grant of allowance to their staff. Payment of BCA on the existing criteria, without, however, any upper pay limit should be made at the following rates :- Accepted

Pay range	Rate of Bad Climate Allowance per month (Rs.)
Basic pay Rs. 2200—2999	80
Basic Pay Rs. 3000/- and above.	100

(Chapter 17, paragraph 17.14)

12. **PROJECT/CONSTRUCTION ALLOWANCE :**

Central Government employees working at underdeveloped and out of the way places in connection with construction of major projects are granted a project/construction allowance, which is primarily intended to compensate them for lack of amenities such as housing, schools, market, dispensaries at the project sites. The allowance is withdrawn in a phased manner as and when these amenities become available at or near the project site. Guidelines for the grant of project allowance and the procedure for sanctioning the same were streamlined by the Government in mid seventies. The project allowance has also subsequently been extended to non-project employees located in project areas, at 50 per cent of the rates admissible to project employees. No change in the existing guidelines regulating grant of project allowance is necessary but the rates may be revised as follows :- Accepted

Pay range	Rate of Project Allowance per month (Rs.)
Basic pay Rs. 2200- -2999	300
Basic pay Rs. 3000/- and above	375

(Chapter 17, paragraph 17.17)

13. **SPECIAL COMPENSATORY ALLOWANCE**

There is need for rationalising the rates of Special Compensatory Allowance in the nature of border areas allowance, remote locality allowance and difficult areas allowance so as to bring about some uniformity in them for places with broadly similar local difficulties, conditions, etc. In the case of the Islands territories, it will be desirable to have one composite compensatory allowance, instead of two different types of allowances. Moreover, these allowances should be paid at Accepted.

flat rates. Keeping in view the pay scales recommended, these allowances may be paid at the following rates :-

Sl. No.	Areas	Rates of Special Compensatory Allowance (Rs. p.m.)	
		Basic pay Rs. 2200–2999	Basic pay 3000/- and above
1.	Areas listed at Sl. Nos. 1 to 10 of the Table given at paragraph 17.9	500	650
2.	Areas listed at Sl. Nos. 11 to 17 of the Table given at paragraph 17.9	400	525
3.	Areas listed at Sl. Nos. 18 to 24 of the Table given at paragraph 17.9	300	375
4.	Areas listed at Sl. Nos. 25 and 26 of the Table given at paragraph 17.9	80	100

(Chapter 17, paragraph 17.11)

14. DISTURBED AREA ALLOWANCE IN MIZORAM

The need for continuance of Special Allowance (Disturbed Area Allowance) in Mizoram and rats thereof may be examined by Government taking into account the revised rates of specific compensatory allowances suggested by commission.

Accepted. Meanwhile the allowance may continue to be paid at the existing rates.

(Chapter 17, paragraph 17.12)

15. TRIBAL AREA ALLOWANCE

Tribal Area Allowance.(TAA) has been granted to Central Govt. employees in a few places on the basis of grant of similar allowance by the respective State Governments to their employees. The rates of allowance for the Central Government employees are, however, different and range from Rs. 20/- to Rs. 50/- per month. The rates for this allowance should be the same as recommended for BCA. TAA has recently been sanctioned in a few places by some State Governments to their employees, but it has not been extended to Central Government employees in those areas. The TAA is intended as an incentive for posting in Tribal areas and it may be extended to Central Government employees in areas where it has been sanctioned by State Governments.

Accepted

(Chapter 17, paragraphs 17.15 & 17.16)

16. RISK ALLOWANCE

There have been suggestions for rationalising risk allowance to various categories of employees exposed to hazards. The matter may be examined by an Expert Committee to be appointed by Government for the purpose. The Committee should not only examine the need for grant of allowance for different categories of employees but also its adequacy. In the meantime, 100% increase in the existing rates is recommended.

The recommendation for appointing an Expert Committee is accepted. In the meantime, risk allowance may continue to be paid at the existing rates.

(Chapter 17, paragraphs 17.21 to 17.23)

1	2	3

17. TRAVELLING ALLOWANCE

(i) The Commission has made recommendations in respect of certain rates and/or conditions regarding the following matters in respect of travelling allowance contained in Chapter 18 of the report. — Accepted.

(a) Gradation of Central Government employees.

(b) Road Mileage Allowance.

(c) Entitlement for Journey by Rail on tour and transfer.

(d) Rates of Daily Allowance.

(e) Transfer Grant and Packing Allowance.

(f) Transportation of personal effects between places connected by rail.

(g) Tansportation of goods between places not connected by rail.

(h) Entitlement of Government employees on transfer.

(i) Travel Assistance for children.

(j) Income ceiling for dependent relatives.

(ii) No change appears to be called for in regard to travel by air except that Additional Secretary to Government of India and officers of equivalent rank may be allowed to travel by executive class while travelling by air within the country. — Accepted.

(Chapter 18, paragraph 18.10)

(iii) **GENERAL**

Rates of the TA/DA may be reviewed by Government periodically and revised as and when necessary. — Accepted.

(Chapter 18, paragraph 18.17)

18. CONVEYANCE ALLOWANCE

The rates of conveyance allowance should be revised as mentioned below : — Accepted.

Average monthly travel on official duty	Rates of conveyance allowance for journeys by	
	Owned Motor Car	Other modes of Conveyance
201–300 Km.	Rs. 300/- p.m.	Rs. 100/- p.m.
301-450 Km.	Rs. 450/- p.m.	Rs. 130/- p.m.
451–600 Km.	Rs. 550/- p.m.	Rs. 170/- p.m.
601–800 Km.	Rs. 650/- p.m.	Rs. 200/- p.m.
Above 800 Km.	Rs. 800/- p.m.	Rs. 230/- p.m.

Other conditions of drawal of conveyance allowance will continue to apply.

(Chapter 18, paragraph 18.6)

1	2	3
19. LEAVE ENTITLEMENTS		
	(i) It is recommended that the existing limit of 180 days on accumulation of earned leave may be raised to 240 days. It is also recommended that the limit of encashment of Earned Leave at the time of retirement may also be raised to 240 days.	Accepted. Instructions have been issued separately to all authorities to ensure that leave shall not ordinarily be denied to any Govt. employee.
	(ii) At present the conditions for grant of study leave preclude a Government employee from availing of such leave if he is due to retire or has option to retire from Government service within three years of the date on which he is expected to return to duty after the expiry of leave. The words "or has the option to retire" may be deleted from the rules. The present rules are not clear whether study leave can be granted in cases where the course of study is completed in more than one spell. The rules may be modified to make the position clear and study leave may, subject to existing limits be permitted in two spells where necessary.	Accepted. Necessary amendments to the Central Civil Services (Leave) rules, 1972-1 have already been issued.
	(iii) The present procedure of crediting E.L. in two instalments of 15 days each on January and July 1st of every calendar year may be reviewed to remove disadvantages to employees in cases where they have already accumulated 180 days E.L. before January 1st or July 1st.	Not accepted as it will adversely affect employees having no leave at their credit before January 1st or July 1st.
	(Chapter 26, paragraph 26.2)	
20. MEDICAL FACILITIES		
	(a) For employees covered by medical reimbursement scheme a fixed medical allowance of Rs. 25/- per month for out door treatment may be paid. However, the expenses incurred on the special diseases like cancer, diabetes, etc. as detailed in paragraph 16.9 of the Report and hospitalisation may continue to be re-imbursed to all employees as at present.	Not accepted. The emphasis is on providing adequate medical care where needed and not on disbursement of allowances irrespective of need. Separate action is being taken to eliminate the existing weaknesses and for extension of CGHS coverage. Meanwhile, the re-imbursement scheme will continue.
	(Chapter 16, paragraph 16.9)	
	(b) Parents, sisters, widowed sisters, minor brothers and children may be deemeed to be dependent on the Government employee if they are residing with him and if their incomes from all sources including pension and pension equivalent of DCRG benefits is less than Rs. 500/- p.m.	Accepted.
	(Chapter 16, paragraph 16.10)	

1	2	3
21.	**HOURS OF WORK :**	
	Working hours of office staff which are at present 37-1/2 hours a week may be reviewed by Government and increased suitably keeping in view the need to maintain and improve the level of productivity. (Chaptor 26, paragraph 26.6)	Accepted. The number of working hours shall be increased to 40 hours per week by adding 1/2 hour per working day.
22.	**CLASSIFICATION OF SERVICES AND POSTS :**	
	The present system of classification may be continued and the revised classification for Group 'A' should be Central Civil post carrying a pay or scale of pay with a maximum of not less than Rs. 4000/-. Wherever there are deviations of the nature mentioned in paragraph 26. 50 the existing classification for those posts may continue. Government may, however, review the classification in such cases as and when necessary. (Chapter 26, paragraph 26.52)	Existing classification shall be continued notionally.
23.	**GENERAL PROVIDENT FUND :**	
	Providing Fund scheme may continue to be compulsory for all employees at the existing rate of contribution. No advance shall be permitted from Provident Fund Account for any purpose whatsoever. Non-refundable withdrawals from the Provident Fund account should also be restricted and allowed only for purposes of higher education of children, marriage of self or children, illness of the employees and for purchasing a house site for building a house thereon, building/acquiring a house or a built flat for his residence including cost of the site. The limits and eligibility conditions for withdrawals may continue to be as at present except that in respect of withdrawal for owning a residence, there may be no restrictons on the amount to be withdrawn and/or the service rendered. (Chapter 20, paragraph 20.4)	Recommenations to continue GPF Scheme at the existing rates of contribution accepted. The other recommendations to tighten rules for advance and withdrawals to be examined.
24.	**INCREMENT :**	
	There should be a system of performance related pay at all but the most senior levels of service. The increments in scales of pay may thus be admissible only to those who give fully satisfactory service. For this purpose, the definition of satisfactory service may be provided in the Service Rules. A suitable criterion may be formulated for performance evaluation and rating may be made annually by a Committee of Officers; an employee who gives consistent excellent performance should be considered for a limited number of non-pensionable cash benefits or increment at double the rate.	Not accepted as withholding of an increment is a penalty under the CCS (CCA) Rules, 1965. The procedure, therefore, for withholding of an increment would become very cumbersome and if the recommendation of the

1	2	3
	(Chapter 7, paragraph 7.60)	Pay Commission is accepted it would be administratively difficult to implement. It will also not be conducive to efficiency that every stage of increment should be so reviewed. Such a review should better be done at the stage of crossing of Efficiency Bar or for promotion.
25. Encadrement of certain high level posts in the respective service has been suggested by the Commission for example, Financial Commissioner (Railways) in the IRAS, FA (Defence) in the IDAS, DG and Addl. DG, Roads in Central Engineering Service (Roads), DG Supplies & Disposal in Indian Supply Service/Indian Inspection Service, DG CSO in the Indian Statistical Service, Chairman and members of CBDT and CBEC in Indian Revenue service (Income Tax) and Indian Custom and Central Excise Service. (Chapter 10 Paragraphs 10.398, 10.116, 10.455, 10.28, 10.353 and 10.200)		Not accepted.
26. **MEDICAL OFFICERS :**		
(a) Central Health Service, General Duty Officers Cadre, may be suitably structured by having adequate number of posts at different levels to provide satisfactory career progression to Officers of this category. (Chapter 10, Paragraph 10.231)		An inter-departmental Committee will be set up to look into the structure and career progression of Services of these doctors.
(b) It is necessary to improve the career prospects of Medical Officers in Central Police Organisations. The Department concerned should re-examine the career progression of these officers at an early date and so restructure the service that the officers may have the same prospects of promotion which are available to Medical Officers of the same grade in Central Health Service. (Chapter 10, Paragraph 10.259)		
(c) Railway Medical Service has no separate Cadre of specialists and doctors possessing post graduate qualification work as specialists. The present cadre structure in RMS does not provide enough opportunities of promotion to Officers of this service. The service requires re-organisation with adequate number of posts at different levels, including creation of posts of specialists, wherever necessary. (Chapter 10, Paragraph 10.403)		
27. **DATE OF EFFECT :**		
(i) I would be administratively convenient to give the benefit of the scale of pay recommended from the beginning of the current financial year. (Chapter 31, Paragraph 31.2)		The decisions of the recommendations listed at item 1(a) of the Annexure shall be made applicable with

1	2	3
		effect from 1st January, 1986. The net amount of arrear for the period January to March, 1986 will be deposited in the GPF/CPF Account of the employees. In the case of employees covered by CPF Scheme there will be no corresponding contribution from Government (Employer's) side.
(ii)	In regard to recommendations on other matters, Government will have to take specific decisions to give effect to them from a suitable date, keeping in view all relevant aspects, including the administrative and accounting work.	Date of effect will be specified in the relevant orders.

(Chapter 31, Paragraph 31.2)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987